

संजय के. सिन्हा-॥ और अन्य

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

31 मई, 2004

[ब्रिजेश कुमार और अरुण कुमार, जे. जे.]

सेवा कानून:

बिहार वन सेवा नियम-नियम 3 और 35-सहायक वन संरक्षक का पद-प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नति करे जाने से वरिष्ठता-50 प्रतिशत प्रत्यक्ष भर्तियों और 50 प्रतिशत पदोन्नतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का निर्धारण-प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा मूल पदों पर नियुक्त उम्मीदवार सुसंगत अवधि के दौरान गैर-मौजूदा पदों के खिलाफ फीडर पदों से उम्मीदवारों की नियुक्ति-इसके बाद, प्रत्यक्ष भर्तियों का नियुक्ति आदेश जारी किया गया-अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई जिसमें सीधे जूनियर से पदोन्नतियों को दिखाया गया है। इसकी वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई कि नियमों के विपरीत की गई नियुक्तियाँ केवल आकस्मिक होती हैं और उन्हें वरिष्ठता का लाभ नहीं मिलता है। सेवा में नियमित/मूल नियुक्तियों के अलावा महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियाँ उपलब्ध नहीं होने और गैर-मौजूदा पद के खिलाफ पदोन्नति की जा रही थी, जबकि ऐसी नियुक्ति नहीं हो सकती है और इस तरह के पदोन्नतियों को उनकी पदोन्नति की कथित

तारीख से सीधे भर्ती के अलावा वरिष्ठता नहीं दी जा सकती है। इसलिए, अंतिम वरिष्ठता सूची रद्द कर दी गई-साथ ही प्रत्यक्ष भर्तियां पदोन्नति आदेश को चुनौती देने में देरी के आधार पर को ही उचित नहीं माना जा सकता है।

राज्य वन सेवा में सहायक संरक्षकों के 50 प्रतिशत पद वन (ए. सी. एफ.) को पदोन्नति द्वारा और अन्य 50 प्रतिशत को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना था। अपीलार्थियों को सीधी भर्ती द्वारा ए. सी. एफ. के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रत्यक्ष भर्ती की प्रक्रिया 8.6.1987 द्वारा पूरी की गई थी लेकिन नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना जारी की गई थी। यह अपीलार्थी का मामला था कि दिनांक 14.12.1987 व 20.6.1987 के बीच फीडर पदों से पदोन्नति पर विचार करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया गया था और दिनांकित 6.10.1987 और 23.11.1987 अधिसूचनाओं द्वारा एसीएफ के पदों पर पदोन्नतियों की नियुक्ति की गई थी। दिनांक 12.8.1987 की अधिसूचना द्वारा प्रासंगिक समय पर कैंडर ए. सी. एफ. के पद की संख्या केवल 172 थे और पदोन्नति पहले से ही थी। 50 प्रतिशत से अधिक पद भरने के बाद 1989 में अंतिम वरिष्ठता सूची उन अपीलार्थियों को जारी किया गया था जो पदोन्नति पाने वालों के लिए कनिष्ठ के रूप में सीधे भर्ती किए गए थे। अपीलकर्ताओं ने अंतिम निर्णय को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने वरिष्ठता सूची को दिनांक 3.4.1996 को इस आधार पर पर खारिज कर दिया। बाद

में उच्च न्यायालय ने 13.7.1998 पर गुण-दोष के आधार पर रिट याचिका को फिर से खारिज कर दिया मामले का रिमांड का आदेश पारित किया। इसमें पदोन्नति को चुनौती देने वाले अपीलार्थी के मामले को खारिज कर दिया। इस बीच, 9.2.1996 पर उच्च न्यायालय की एक अन्य खंड पीठ ने 6.10.1987 और 23.11.1987 की अधिसूचनाओं और अंतिम वरिष्ठता सूची को भी रद्द कर दिया।

न्यायालय में अपील करते हुए, अपीलकर्ता-प्रत्यक्ष भर्तियों के संबंध में तर्क दिया कि नियुक्ति के लिए वर्ष 1987 में एसीएफ के पद उपलब्ध नहीं थे पहले सेवा में संतुलन बहाल किए बिना पदोन्नतियों की गई, लेकिन फिर भी उत्तरदाता द्वारा नियुक्तियों की गई और दिनांक 12.8.1987 की अधिसूचना एक प्रस्ताव है जो केवल कैंडर की क्षमता को निर्धारित करता है जिसे लागू किया जाना शेष है।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. बिहार वन सेवा नियमों के नियम 35 में प्रावधान है कि सेवा में नियुक्त अधिकारियों की वरिष्ठता का निर्धारण किया जाना है - सेवा में मूल नियुक्तियां। [845 - बी-सी; 847-बी-सी]

सी. के. एंटनी बनाम बी. मुरलीधरन और अन्य, [1998] 6 एससीसी 630; एम. एस. एल. पाटिल, सहायक वन संरक्षक, सोलरपुर (महाराष्ट्र) और 836 पी. 2 एस सी आर अन्य बनाम। महाराष्ट्र राज्य और अन्य,

[1996] 11 एस. सी. सी. 361 और राज्य महाराष्ट्र और एक अन्य ए. डब्ल्यू. ढोपे और अन्य बनाम संजय ठाकरे और अन्य, [1995] पूरक। 2 एस. सी. सी. 407, को विश्वास किया गया।

केशव चंद्र जोशी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, [1992] सप. 1 एस. सी. सी. 272, रेफर किया गया।

2.1. 12.8.1987 दिनांकित अधिसूचना जारी की गई

प्रस्ताव का शीर्षक 'बिहार के कैंडर की संख्या का निर्धारण' में 'वन सेवा' का सुझाव देती है जो केवल संवर्ग ए. सी. एफ. के पद कैंडर की क्षमता हो जिसे निर्माण द्वारा लागू करने की आवश्यकता है। प्रस्ताव को पदों का निर्माण नहीं कहा जा सकता है। कैंडर की संख्या के निर्धारण और पदों के निर्माण के बीच बहुत अंतर है। पदों के सृजन के लिए कुछ औपचारिकताओं से गुजरना पड़ता है। यह सुझाया गया है कि पदों के निर्माण के संबंध में आवश्यक औपचारिकताएं की जाती हैं। [842 - जी-एच; 843-ए-बी]

2.2 यह प्रतिवादी की ओर से किए गए प्रवेश से स्पष्ट है-राज्य सरकार न्यायिक कार्यवाही में दायर हलफनामों के माध्यम से कार्यवाही कि वर्ष 1987 में पदोन्नतियों की पदोन्नति के लिए ए. सी. एफ. के पर्याप्त संख्या में पद नहीं बनाए गए थे और इस तरह जब पदोन्नतियों को ए. सी. एफ. के रूप में पदोन्नत किया गया था तो पदों की उपलब्धता नहीं

थी, बल्कि गैर-मौजूदा पदों के खिलाफ पदोन्नति की गई थी। जब पद उपलब्ध नहीं थे तो यह सवाल ही नहीं उठता कि क्या पद पदोन्नति के कोटे में आते हैं। यह नियम राज्य सरकार द्वारा बाद में बनाया गया। 15.7.2002 दिनांकित अधिसूचना जारी करते समय, राज्य सरकार इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती है। पक्षपातपूर्ण अधिकारी जैसे अपीलार्थी जिन्हें डब्ल्यू. ई. एफ. 14.12.1987 अर्थात् 837 से लगभग 15 साल पहले सेवा में नियुक्त किया गया था। एस. के. सिन्हा बनाम राज्य [846 - ई-एफ; 847-डी-एचजे]

2.3 . पदोन्नति पाने वालों की नियुक्ति जून और नवम्बर के बीच की गई। ए. सी. एफ. एस. के पदों पर नवंबर, 1987 को सेवा में महत्वपूर्ण नियुक्तियों के रूप में नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इन पदों पर महत्वपूर्ण नियुक्तियां होती हैं। नियुक्तियाँ उपलब्ध नहीं थीं, इसलिए, वहाँ सेवा में कोई नियुक्त नहीं हो सकता था और जब सेवा में कोई नियुक्ति नहीं होती है, सेवा में बहुत कम महत्वपूर्ण नियुक्ति होती है, तो यह पदोन्नति से वरिष्ठता का कोई लाभ प्रदान नहीं कर सकता है। अपीलार्थियों के अलावा उनकी पदोन्नति की कथित तिथि जो 14.2.1987 की अधिसूचना द्वारा सीधे सेवा में नियुक्त किए गए थे। इसलिए दिनांक 24.07.1989 की अंतिम वरिष्ठता सूची खारिज की गई और राज्य सरकार को पदोन्नतियों पर अपीलार्थियों की वरिष्ठता तय करने के लिए नई वरिष्ठता सूची जारी करने का निर्देश दिया गया था। इसके अलावा, राज्य सरकार उनको नियमित कर सकती है,

लेकिन पदोन्नति प्राप्त व्यक्तियों से अपीलार्थियों पर वरिष्ठता नहीं दी जा सकती है। [845 - डी-ई; 847-ए-बी; 848-ए-बी]

3. अपीलार्थी-प्रत्यक्ष भर्तियां निम्न स्तर पर गैर-उपयुक्त नहीं हो सकती हैं। पदोन्नति के आदेशों को चुनौती देने में देरी। उच्च न्यायालय की एक अन्य खंड पीठ ने सहायक वन संरक्षक (ए. सी. एफ.) के पदों पर पदोन्नति और अंतिम वरिष्ठता सूची के संबंध में दो अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया और राज्य सरकार को पदोन्नति की नियुक्ति के संबंध में नई अधिसूचना जारी करने की अनुमति दी। 3.4.1996 पर जब अंतिम वरिष्ठता सूचियों को चुनौती देने वाली वर्तमान रिट याचिका में अपीलकर्ताओं को पदोन्नति के लिए जूनियर के रूप में सीधी भर्तियों को पहले खारिज कर दिया गया था। उसे दिनांक 13.7.1998 को उच्च न्यायालय द्वारा फिर से खारिज कर दिया गया था। इस न्यायालय द्वारा पारित रिमांड आदेश, पदोन्नति की नियुक्तियों के संबंध में कोई अधिसूचना मौजूद नहीं थी। नई अधिसूचना केवल दिनांक 15.7.2002 को जारी की गई थी। [839 - एफ-एच; 840-ए-बी]

सिविल अपीलीय न्याय निर्णय: सिविल अपील सं. 6565/1999,
पटना उच्च न्यायालय के सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या
8305/1989 निर्णय और आदेश के दिनांक 13.7.98 से

गोपाल सुब्रमण्यम, अजीत कुमार सिन्हा और पंकज भगस्त
अपीलार्थी।

एस. बी. सान्याल, रुडेश्वर सिंह, शिशिर पिनाकी, आर. पी. वाधवानी, उत्तरदाताओं के लिए कुमार राजेश सिंह, बी. बी. सिंह, अनुराग और नवीन प्रकाश।

न्यायालय का निर्णय अरूण कुमार जे. द्वारा दिया गया था।

यह अपील उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच के दिनांक 13 जुलाई, 1998 के फैसले के खिलाफ निदेशित है, जिसमें अपीलकर्ताओं द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था। इसमें बिहार राज्य सरकार द्वारा जारी अंतिम वरिष्ठता सूची को चुनौती दी गई है, जिसके तहत बिहार वन सेवा में सीधी भर्ती वाले अपीलकर्ताओं को निजी उत्तरदाताओं से कनिष्ठ दिखाया गया था, जो सेवा में पदोन्नत हैं। अपीलकर्ताओं को 40 स्थायी पदों को भरने के लिए 24 जुलाई, 1985 को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसरण में सीधी भर्ती के रूप में बिहार वन सेवा (बाद में 'सेवा' कहा जाएगा) में सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) के रूप में नियुक्त किया गया था। अपीलकर्ताओं के अनुसार सीधी भर्ती की प्रक्रिया 8 जून, 1987 को पूरी हो गई थी। हालाँकि, सीधी भर्ती के संबंध में नियुक्ति आदेश 14 दिसंबर, 1987 को जारी किए गए थे। अपीलकर्ता का कहना है कि प्रासंगिक समय पर कैंडिड की क्षमता सहायक वन संरक्षक के पद केवल 172 थे और 50% से अधिक पदों पर पहले से ही पदोन्नत लोग काबिज थे। उनका कोटा केवल 50% पदों का है। हम यहां अवलोकनीय है

कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि प्रासंगिक समय में पदोन्नत और सीधी भर्ती वाले प्रत्येक व्यक्ति का कोटा 50% था।

जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि जबकि सीधी भर्ती के संबंध में सभी औपचारिकताएं 8 जून, 1987 तक पूरी कर ली गई थीं, फीडर पदों से सहायक वन संरक्षक के पदों पर पदोन्नति के लिए उम्मीदवारों पर विचार करने के लिए 20 जून, 1987 को एक विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया गया था। रेंज अधिकारियों की इसी उद्देश्य के लिए अन्य विभागीय पदोन्नति समितियाँ 2 जुलाई, 1987 और 17 अक्टूबर, 1987 को आयोजित की गईं। 6 अक्टूबर, 1987 और 23 नवंबर, 1987 को दो अधिसूचनाएँ जारी की गईं, जिसके तहत पदोन्नत लोगों को सहायक वन संरक्षक के पदों पर नियुक्त किया गया। सीधी भर्ती की नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना 14 दिसंबर, 1987 को जारी की गई थी, अर्थात् पदोन्नत लोगों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी होने के बाद। इससे वरिष्ठता क्रम की भर्तियों के मामले में पदोन्नत लोगों को बढ़त मिल गई। एक अस्थायी वरिष्ठता सूची 7 मार्च, 1989 को जारी की गई थी, जबकि सीधी भर्ती वाले अपीलकर्ताओं को पदोन्नतियों से कनिष्ठों के रूप में दिखाने वाली अंतिम वरिष्ठता सूची 24 जुलाई, 1989 को जारी की गई थी। अपीलकर्ताओं ने एक रिट याचिका दायर करके इस अंतिम वरिष्ठता सूची को चुनौती दी थी। उक्त रिट याचिका को 3 अप्रैल, 1996 को उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने खारिज कर दिया था। उक्त फैसले के खिलाफ दायर एक विशेष अनुमति

याचिका में, इस न्यायालय ने 2 सितंबर, 1996 के आदेश द्वारा मामले को उच्च न्यायालय में इस निर्देश के साथ भेजा कि हाई कोर्ट सभी पक्षों को सुनने के बाद नया फैसला दे।

इस न्यायालय द्वारा पारित रिमांड आदेश के बाद, रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं ने 28 नवंबर, 1996 को उच्च न्यायालय में रिट याचिका में संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया। संशोधन आवेदन में कई बिंदुओं को उठाने की मांग की गई थी। 25 मई, 1997 को संशोधन की अनुमति दी गई। संशोधित रिट याचिका के जवाब में किसी भी पक्ष ने कोई नया जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया। किसी भी उत्तरदाता द्वारा संशोधन आवेदन का कोई उत्तर दाखिल नहीं किया गया। अंततः उच्च न्यायालय ने 13 जुलाई, 1998 को रिट याचिका को खारिज करते हुए आक्षेपित निर्णय पारित किया। गुण-दोष के आधार पर अपीलकर्ताओं के मामले को खारिज करने के अलावा, उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं की पदोन्नति को चुनौती देने में अपीलकर्ताओं की ओर से देरी के पहलू पर भी बहुत जोर दिया। मूल रिट याचिका में अपीलकर्ताओं ने पदोन्नतियों/प्रतिवादियों की नियुक्तियों को चुनौती नहीं दी थी। उन्होंने केवल अंतिम वरिष्ठता सूची को चुनौती दी थी। रिट याचिका में प्रतिवादियों यानी पदोन्नत व्यक्तियों की नियुक्तियों को चुनौती नहीं दी गई, जिस पर रिट याचिका को खारिज करने में उच्च न्यायालय को आपत्ति हुई।

हमने मामले के इस पहलू पर पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हमारे विचार में, प्रतिवादियों के पदोन्नति के आदेशों को चुनौती देने में देरी के आधार पर अपीलकर्ताओं गैर प्रतिकूल नहीं किया जा सकता है। मामले का महत्वपूर्ण पहलू जो हमें इस दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित करता है कि प्रतिवादियों की पदोन्नति/नियुक्तियों के संबंध से संबंधित 6 अक्टूबर, 1987 और 23 नवंबर, 1987 की अधिसूचनाओं को उच्च न्यायालय की एक अन्य डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में रद्द कर दिया था। सीडब्ल्यूजेसी 1634/1986 में 9 फरवरी 1996 का निर्णय। उक्त निर्णय के द्वारा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को पदोन्नत कर्मियों की नियुक्ति के संबंध में नयी अधिसूचना जारी करने की अनुमति दे दी थी। नई अधिसूचना 15 जुलाई, 2002 को जारी की गई। इसलिए, 3 अप्रैल, 1996 को जब वर्तमान रिट याचिका पहले खारिज कर दी गई थी और फिर 13 जुलाई, 1998 को जब रिमांड आदेश पारित होने के बाद इसे उच्च न्यायालय द्वारा फिर से खारिज कर दिया गया था। इस न्यायालय द्वारा, उत्तरदाताओं/पदोन्नतिकर्ताओं की नियुक्तियों के संबंध में कोई अधिसूचना अस्तित्व में नहीं थी। उच्च न्यायालय ने 9 फरवरी, 1996 के उक्त निर्णय द्वारा अंतिम वरिष्ठता सूची को भी रद्द कर दिया था। इन तथ्यों में, प्रतिवादियों को पदोन्नति के आदेश को चुनौती देने में देरी के आधार पर अपीलकर्ताओं के प्रतिकूल नहीं किया जा सकता है।

विवाद के गुण-दोष पर आते हुए, अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री गोपाल सुब्रमण्यम ने निम्नलिखित बिंदु उठाए:

1. पदोन्नत व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए सहायक वन संरक्षक के पद सुसंगत समय पर उपलब्ध नहीं थे। किसी भी स्थिति में पदोन्नत व्यक्ति पहले से ही अपने 50% कोटे से कहीं अधिक पदों पर कार्यरत थे और इसलिए, सीधी भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी पदोन्नत व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जा सकता था और सीधी भर्ती वालों को सेवा में 50% कोटा दिया जाता था।

2. एसीएफ के पदों पर पदोन्नति करने के लिए जिस विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया गया था, वह नियमों के अनुसार गठित नहीं की गई थी और इसलिए, उसके द्वारा अनुशंसित पदोन्नति अमान्य और अवैध थी।

3. सीधी भर्ती की नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना जारी करने में देरी के कारण दुर्भावना।

हालाँकि उठाया गया मुद्दा हमारे सामने नहीं रखा गया था, और इसलिए, इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

हमारे विचार में सुसंगत समय पर पदोन्नत व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए एसीएफ के पद की कथित अनुपलब्धता के संबंध में पहला बिंदु इस अपील पर निर्णय लेने के लिए पर्याप्त है। पदों की उपलब्धता के प्रश्न पर

अपीलकर्ताओं का कहना था कि पद उपलब्ध नहीं थे और पदों के अभाव में कोई नियुक्ति नहीं की जा सकती थी। फिर भी उत्तरदाता पदोन्नतियों की नियुक्ति के लिए आगे बढ़े थे। ऐसी नियुक्तियाँ आकस्मिक होती हैं और नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता का लाभ नहीं दिया जा सकता। इस तर्क के समर्थन में जिस पहले दस्तावेज़ पर विश्वास किया गया वह मुख्य संरक्षक, वन एवं पर्यावरण विभाग, बिहार सरकार, पटना का 23 सितंबर, 1985 का एक पत्र है। पत्र सीधे तौर पर वन रेंज अधिकारी (एफआरओ) को सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) के पद पर पदोन्नति के सवाल से संबंधित है। पत्र में कहा गया है कि बिहार वन सेवा नियमावली के नियम 3 के तहत, कुल मौजूदा रिक्तियों में से कम से कम 50% को पदोन्नति द्वारा भरा जाना है। इसमें आगे कहा गया है: "वर्तमान में बिहार वन सेवा में कैंडर में 125 अधिकारी हैं, जिनमें से 105 को रेंज ऑफिसर के पद से पदोन्नत किया गया है और बाकी को सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किया गया है।" इस पत्र के अनुसार बिहार राज्य वन सेवा में एसीएफ के पदों की कैंडर शक्ति के अनुसार प्रोन्नत अधिकारियों की संख्या 84 फीसदी है। मुख्य वन संरक्षक ने उक्त पत्र में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरने से सेवा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। मुख्य वन संरक्षक का यह भी कहना है कि राज्य सेवा आयोग ने एसीएफ के 40 पदों को सीधी भर्ती से भरने के लिए पहले ही विज्ञापन जारी कर दिया था। उनका मानना है कि इन परिस्थितियों में

एसीएफ के पदों को पदोन्नति से भरना उचित नहीं होगा. यह पत्र एसीएफ के पदों पर सेवा में पहले से मौजूद असंतुलन को उजागर करता है, जहां तक सीधी भर्ती और पदोन्नति की नियुक्तियों का सवाल है।

पदोन्नति द्वारा पदों को भरने की प्रक्रिया जून, 1987 में शुरू की गई, जो 6 अक्टूबर, 1987 और 23 नवंबर, 1987 को एसीएफ के रूप में पदोन्नत लोगों की नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना जारी करने के साथ समाप्त हुई। कैंडर की ताकत के सवाल पर पदों की योग्यता एसीएफ को 12 अगस्त, 1987 की एक अधिसूचना का हवाला देना होगा जिस पर दोनों पक्षों ने भरोसा जताया है। अपीलकर्ताओं के अनुसार उक्त अधिसूचना से पता चलता है कि पदोन्नत लोगों की नियुक्ति के लिए पद उपलब्ध नहीं थे, जबकि उत्तरदाताओं ने उक्त अधिसूचना को पर्याप्त संख्या में पदों का निर्माण करने वाले साधन के रूप में पढ़ा, जिस पर पदोन्नत लोगों को नियुक्त किया जा सकता था। 12 अगस्त 1987 की अधिसूचना एक संकल्प के रूप में है। विषय का उल्लेख "बिहार वन सेवा की संवर्ग शक्ति का निर्धारण" के रूप में किया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि बिहार वन सेवा की कैंडर शक्ति राज्य सरकार द्वारा संकल्प के प्रकाशन की तिथि से निम्नानुसार निर्धारित की जा रही है:

(1) वन एवं पर्यावरण विभाग के पत्र क्रमांक 4260 दिनांक 26.8.1986 के अनुसार 15 अप्रैल 1985 को स्वीकृत पद 151

(2) 15 अप्रैल 1985 के बाद पत्र के अनुसार स्वीकृत पद मुख्य वन संरक्षक के क्रमांक 2856 दिनांक 11 अप्रैल 1985 21

(3) सामाजिक वानिकी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति के स्वीकृत पद 38

(4) बिहार राज्य वन विभाग के अंतर्गत लघु वनों के विकास एवं उत्खनन हेतु सृजित पद निर्माता 18

(5) बिहार वन सेवा संवर्ग में प्रमंडलीय वन पदाधिकारी के गैर संवर्गपद सृजित। 49

कुल277

अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने कहा कि उपरोक्त प्रस्ताव केवल कैडर की क्षमता निर्धारित करता है। यह उन पदों को नोट करता है जो विभिन्न विभागों से बिहार वन सेवा के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। यह सर्वोत्तम निर्णय है जिसे क्रियान्वित किया जाना बाकी है। जबकि उपरोक्त क्रम संख्या 1 और 2 पर पद बिहार वन सेवा में स्पष्ट रूप से उपलब्ध हैं, बाकी पदों को इसमें जोड़ा जाना है जिसके लिए पद को बिहार वन सेवा के हिस्से के रूप में लेने से पहले कुछ औपचारिकताओं को पूरा करना होगा। सरकार में व्यवसाय के नियम हैं जिनका पद सृजित होने और उपलब्ध होने से पहले पालन किया जाना चाहिए। इस प्रकार अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील के अनुसार प्रासंगिक समय में सेवा में केवल 172 पद मौजूद

थे। यहां उल्लिखित मुख्य वन संरक्षक के पत्र पर भरोसा करते हुए, विद्वान वकील का कहना है कि सबसे पहले इतनी बड़ी संख्या में पद पदोन्नतियों की नियुक्ति से भरे जाने के लिए उपलब्ध नहीं थे, दूसरे पदोन्नत लोग पहले से ही अपने 50% से अधिक पदों पर काबिज थे। इसलिए पहले सेवा में संतुलन बहाल किए बिना, पदोन्नतियों को नियुक्त नहीं किया जा सकता था।

हमने उक्त प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। जैसा कि प्रस्ताव के शीर्षक से पता चलता है, यह केवल एसीएफ के पद की कैंडर ताकत का निर्धारण है। यह निर्णय है कि कैंडर की संख्या कितनी होनी चाहिए। प्रस्ताव को पद सृजित करना नहीं कहा जा सकता। कैंडर संख्या के निर्धारण और पदों के सृजन में बहुत अंतर है। निर्धारण कैंडर की संख्या क्या होनी चाहिए इसके संबंध में एक निर्णय है। फैसले को लागू करने की जरूरत है। कार्यान्वयन पदों के सृजन द्वारा होता है। पदों के सृजन के लिए कुछ औपचारिकताओं से गुजरना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है जिससे पता चले कि पदों के निर्माण के संबंध में अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी की गई थीं। इसलिए इस प्रस्ताव को पदों के सृजन के रूप में नहीं लिया जा सकता। इसके बाद होने वाली चर्चा से पता चलेगा कि राज्य सरकार ने स्वयं कानूनी स्थिति को उसी तरह से समझा है जैसे कि राज्य सरकार ने बाद की कार्यवाही में यह रुख अपनाया है कि पर्याप्त संख्या में पद सृजित नहीं किए गए थे और इसलिए उपलब्ध नहीं थे।

अपने इस तर्क के समर्थन में कि वर्ष 1987 में प्रासंगिक समय पर पदोन्नत लोगों की नियुक्ति के लिए पद उपलब्ध नहीं थे, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने अवमानना शुरू करने के लिए एक याचिका के जवाब में प्रतिवादी की ओर से दायर एक हलफनामे पर हमारा ध्यान आकर्षित किया। उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के 9 फरवरी, 1996 के फैसले का अनुपालन नहीं करने के लिए राज्य सरकार और उसके अधिकारियों के खिलाफ अदालती कार्यवाही की गई। उक्त निर्णय द्वारा उच्च न्यायालय ने सहायक वन संरक्षक के पदों पर पदोन्नत व्यक्तियों की नियुक्ति के संबंध में 16 अक्टूबर, 1987 और 23 नवंबर, 1987 की अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया था और राज्य सरकार को इसमें नए आदेश जारी करने की अनुमति दी थी। कानून के अनुसार, पदोन्नत व्यक्तियों की नियुक्ति के संबंध में नई अधिसूचना जारी करने में राज्य सरकार की ओर से अत्यधिक देरी हुई, जिसके कारण कुछ पदोन्नत व्यक्तियों ने अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए आवेदन दायर किया। अवमानना आवेदन के जवाब में, आयुक्त-सह-सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, बिहार सरकार ने निम्नानुसार कहा:

पैरा 8:

"जहां तक इस माननीय न्यायालय द्वारा पैराग्राफ 93, 94, 95 के तहत जारी निर्देश का संबंध है, नई अधिसूचना जारी करने के लिए कदम उठाए गए हैं। हालांकि, प्रक्रिया

पूरी नहीं हुई है क्योंकि रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित अवधि में गैर-मौजूदा पदों पर पदोन्नतियों की गईं। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा सहायक वन संरक्षक के पद के सृजन के लिए पहले आवश्यक सरकारी आदेश जारी किया जाना आवश्यक है। इसके बाद याचिकाकर्ताओं की पदोन्नति के संबंध में नई अधिसूचना जारी की जाएगी। पदोन्नति देने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें।"

हलफनामे के पैरा 17 :- में कहा गया है कि "अभिसाक्षी ने प्रासंगिक रिकॉर्ड मांगे थे और रिकॉर्ड से यह पाया गया कि वर्ष 1985 में एसीएफ के 133 पद थे और वर्ष 1986 में 140 पदधारी एसीएफ के पदों पर थे"।

पैरा 18: "रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि वर्ष 1987 में, पहले से कार्यरत 140 एसीएफ के अलावा 82 व्यक्तियों को पदोन्नत/नियुक्त किया गया था, लेकिन इन पदों के निर्माण के संबंध में कोई मंजूरी आदेश नहीं था। यहां तक कि आज भी इन पदों के सृजन के लिए कोई स्वीकृति आदेश उपलब्ध नहीं है। अभिलेखों से सत्यापन के बाद यह पता चलता है कि राज्य सरकार द्वारा एसीएफ के केवल 133 पद ही सृजित किए गए हैं।"

पैरा 19: "इस मामले पर विभाग में चर्चा की गई है और एसीएफ के अतिरिक्त 91 पदों के सृजन या प्रस्ताव को आगे बढ़ाया गया है। एसीएफ के स्वीकृत पद की उपलब्धता के अभाव में, एसीएफ के रूप में

याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति के लिए कोई भी अधिसूचना क़ानून की नज़र में अमान्य होगी।"

पैरा 21: "जैसे ही सरकार एसीएफ के अतिरिक्त पद को मंजूरी देगी, अभिसाक्षी नई अधिसूचना जारी करेगा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित एसएलपी संख्या 15295/1998 के परिणाम के अधीन होगा।"

सरकार का यह रुख इस न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका के जवाब में राज्य सरकार की ओर से दायर जवाबी हलफनामे के पैरा 11 में दोहराया गया है। यह कहा गया है कि "प्रतिवादी-राज्य ने माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के प्रति सचेत रहते हुए संबंधित एसीएफ को बढ़ावा देने/नियुक्ति करने के लिए अधिसूचना जारी करने के लिए उचित कदम उठाए हैं, सरकार उनकी पदोन्नति/नियुक्ति को तुरंत अधिसूचित करने का निर्णय कुछ कारणों से नहीं ले सकी। माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के बाद, जैसे, तत्काल एसएलपी की लंबितता, पटना उच्च न्यायालय, रांची बेंच में एमजेसी नंबर 631/1998 (आर) की लंबितता और गैर-कानूनी के कारण भी -एसीएफ के पर्याप्त संख्या में पदों की उपलब्धता।

न्यायिक कार्यवाही में हलफनामे के माध्यम से उत्तरदाताओं की ओर से की गई स्वीकारोक्ति से यह स्पष्ट है कि वर्ष 1987 में जब उत्तरदाताओं को एसीएफ के रूप में पदोन्नत किया गया था, तब स्वीकृत पदों की संख्या उपलब्ध नहीं थी, बल्कि पदोन्नति गैर-मौजूदा पदों के विरुद्ध की गई

थी। क्या ऐसी पदोन्नतियाँ संबंधित अधिकारियों को विशेष रूप से अपीलकर्ताओं की तरह सेवा में अन्य विधिवत नियुक्त अधिकारियों से ऊपर कोई अधिकार प्रदान कर सकती हैं? इस संबंध में हमें ध्यान देना होगा कि बिहार वन सेवा नियमावली के नियम 35 में प्रावधान है कि सेवा में नियुक्त अधिकारियों की वरिष्ठता उनकी वास्तविक नियुक्ति की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जानी है। सेवा का सदस्य बनने के लिए संबंधित व्यक्ति को कम से कम दो शर्तों को पूरा करना होगा - पहला, नियुक्ति वास्तविक क्षमता में होनी चाहिए और (2) नियुक्ति सेवा में नियमों के अनुसार और उसके भीतर पद पर होनी चाहिए। एक वास्तविक रिक्ति के लिए कोटा, (केशव चंद्र जोशी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के अनुसार, [1992] अनुपूरक 1 एससीसी 272।

वर्तमान मामले में दोनों में से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है। जिन पदों पर मौलिक नियुक्तियाँ की जानी थीं वे पद उपलब्ध नहीं थे, इसलिए सेवा में कोई नियुक्ति नहीं हो सकी। जब सेवा में कोई नियुक्ति नहीं होती है, तो सेवा में वास्तविक नियुक्ति तो दूर, पदोन्नत लोगों को उनकी पदोन्नति की कथित तारीख से वरिष्ठता भी नहीं दी जा सकती है।

इस स्तर पर यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वास्तव में पदोन्नत लोगों की नियुक्तियों के संबंध में 6 अक्टूबर, 1987 और 23 नवंबर, 1987 की अधिसूचनाओं को डिवीजन बेंच ने सीडब्ल्यूजेसी संख्या 1634/1986 में 9 फरवरी, 1996 के अपने फैसले द्वारा रद्द कर दिया था। डिवीजन बेंच ने

इस उद्देश्य के लिए नई अधिसूचना जारी करने की अनुमति दी थी। पदोन्नत व्यक्तियों की नई नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना में देरी हुई। यह अंततः 15 जुलाई, 2002 को जारी किया गया था। उक्त अधिसूचना में फिर से कहा गया है कि अधिकारियों को उनके नाम के सामने उल्लिखित तिथि से सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नत किया जाता है। उनके नाम के सामने जो तारीख 20 जून, 1987 अंकित है। यह अधिसूचना इस न्यायालय में वर्तमान कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान जारी की गई थी। अपीलकर्ता ने तुरंत वर्तमान कार्यवाही में इस अधिसूचना के खिलाफ राहत के लिए आवेदन किया। प्रश्न यह था कि जब जून, 1987 में एसीएफ के पद पदोन्नत लोगों के लिए उपलब्ध नहीं थे, तो 15 जून, 2002 की अधिसूचना द्वारा पदोन्नत लोगों को 20 जून, 1987 से कैसे नियुक्त किया जा सकता था। 1998 में दायर अवमानना कार्यवाही में पद सृजित नहीं किये गये थे, यह तथ्य हलफनामे में उल्लेखित है।

उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने राज्य सरकार की ओर से इस स्पष्ट स्वीकारोक्ति को यह कहकर समझाने की कोशिश की कि हलफनामा केवल सरकार के एक अधिकारी द्वारा था और जरूरी नहीं कि यह सरकार के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता हो। हमारी राय में यह तर्क अत्यधिक तकनीकी है और किसी भी विश्वसनीयता के लिए कम जिम्मेदार है। सबसे पहले, अधिकारी को अवमानना याचिका में प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था क्योंकि वह संबंधित समय में प्रमुख पद पर थे। अधिकारी

ने सरकार के रिकॉर्ड के आधार पर हलफनामा दायर किया, जो तथ्य हलफनामे में विभिन्न स्थानों पर कहा गया है। दूसरे, राज्य सरकार ने इस न्यायालय में एसएलपी के जवाब में दायर जवाबी हलफनामे में भी यही विचार दोहराया है। हमें आश्चर्य है कि इन तथ्यों के बावजूद, उत्तरदाताओं की ओर से पेश वरिष्ठता वकील द्वारा इस तरह का तर्क दिया गया है।

उक्त समय पर पदोन्नत लोगों की पदोन्नति के लिए एसीएफ के पदों की अनुपलब्धता के बारे में राज्य सरकार की ओर से की गई स्पष्ट स्वीकारोक्ति को खारिज करने का कोई कारण नहीं है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जून और नवंबर, 1987 के बीच एसीएफ के रूप में प्रतिवादी-प्रमोटी की नियुक्तियां गैर-मौजूदा पदों पर थीं। जबकि पद ही उपलब्ध नहीं थे तो यह प्रश्न ही नहीं उठता कि पद पदोन्नतियों के कोटे में आ रहे हैं या नहीं। इसलिए हमें इसका विज्ञापन करने की जरूरत नहीं है। पदों की उपलब्धता और उपलब्ध पदों की संख्या का प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर रिकॉर्ड के आधार पर सबसे अच्छा दिया जा सकता है। दुर्भाग्य से प्रासंगिक जानकारी को रिकॉर्ड के साथ समर्थित करके अदालत के समक्ष रखने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस मामले में रिकॉर्ड स्थिति हमें पटना उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका के जवाब में दायर बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग के आयुक्त-सह-सचिव श्री केडी सिन्हा के हलफनामे से ही मिली, जिसकी प्रति उपलब्ध है इस न्यायालय में अपीलकर्ताओं की ओर से दायर प्रत्युत्तर शपथ पत्र के संलग्नक R3 के रूप

में। जिस हलफनामे के साथ श्री केडी सिन्हा के हलफनामे की प्रति संलग्न है, वह 4 नवंबर, 1999 को दायर किया गया था। श्री केडी सिन्हा के हलफनामे में बताई गई तथ्यात्मक स्थिति को खंडित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं किया गया है। हम श्री केडी सिन्हा द्वारा अपने हलफनामे में बताई गई स्थिति को सुरक्षित रूप से स्वीकार कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा मानना है कि एसीएफ के पदों पर जून और नवंबर, 1987 के बीच की गई उत्तरदाताओं/पोमोटियों की नियुक्तियों को सेवा में वास्तविक नियुक्तियों के रूप में नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, वे अपीलकर्ताओं के ऊपर उत्तरदाताओं को वरिष्ठता का कोई लाभ नहीं दे सकते हैं। जिन्हें 14 फरवरी, 1987 की अधिसूचना द्वारा सीधे सेवा में नियुक्त किया गया था।

यह सुस्थापित विधि है कि नियमों के विपरीत की गई नियुक्तियाँ केवल आकस्मिक हैं और सेवा में नियमित/मौलिक नियुक्तियों के अलावा नियुक्तियों को वरिष्ठता का लाभ नहीं मिलता है।

सीके एंटनी बनाम बी. मुरलीधरन और अन्य देखें , [1998] 6 एससीसी 630, एमएसएल पाटिल, सहायक। वन संरक्षक, सोलारपुर (महाराष्ट्र) और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य , [1996] 11 एससीसी 361 और महाराष्ट्र राज्य और अन्य एडब्ल्यू धोपे और अन्य बनाम संजय ठाकरे और अन्य , [1995] सप्लिमेंट 2 एससीसी 407।

अवमानना याचिका के जवाब में श्री केडी सिन्हा ने जिस तारीख को हलफनामा दायर किया, वह निश्चित नहीं है, हालांकि यह वर्ष 1998 या उसके बाद का समय होगा। श्री केडी सिन्हा के शपथ पत्र से यह स्पष्ट है कि शपथ पत्र दाखिल करने की तिथि तक भी राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त संख्या में पद सृजित नहीं किये गये थे, क्योंकि श्री सिन्हा ने कहा था कि वे प्रोन्नति कर्मियों की नियुक्ति के लिए नये सिरे से अधिसूचना जारी करेंगे. जैसे ही राज्य सरकार ने एसीएफ के अतिरिक्त पद स्वीकृत किये। राज्य सरकार ने 15 जुलाई, 2002 को प्रतिवादी की नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना जारी की। उक्त अधिसूचना का उद्देश्य 16 जुलाई, 1987 से उत्तरदाताओं को नियुक्त करना है। इससे पता चलता है कि एसीएफ के पद राज्य सरकार द्वारा बाद में बनाए गए थे। 15 जुलाई, 2002 को अधिसूचना जारी करते समय, राज्य सरकार अपीलकर्ताओं जैसे अधिकारियों की उपेक्षा या पूर्वाग्रह नहीं कर सकती थी, जिन्हें अधिसूचना जारी होने से लगभग पंद्रह साल पहले 14 दिसंबर, 1987 से सेवा में नियुक्त किया गया था। 15 जुलाई, 2002 की अधिसूचना द्वारा अपीलकर्ता द्वारा पंद्रह वर्ष पहले प्राप्त की गई वरिष्ठता को शून्य करने की मांग की गई है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ताओं को उत्तरदाताओं की नियुक्तियों को रद्द करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे केवल उत्तरदाताओं पर अपनी वरिष्ठता बनाए रखने के बारे में चिंतित थे। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हमें अपीलकर्ताओं की वरिष्ठता को कम

करने और प्रतिवादियों को उनके ऊपर वरिष्ठता देने का कोई औचित्य नजर नहीं आता। जबकि राज्य सरकार प्रतिवादियों-प्रमोटी की नियुक्ति को नियमित कर सकती है, हमारा मानना है कि उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ताओं-अपीलकर्ताओं से ऊपर वरिष्ठता नहीं दी जा सकती है। वरिष्ठता के प्रश्न पर रिट याचिका सफल होती है। 24 जुलाई, 1989 की अंतिम वरिष्ठता सूची को रद्द कर दिया गया है और राज्य सरकार को इस निर्णय के अनुसार उत्तरदाताओं पर अपीलकर्ताओं की वरिष्ठता तय करते हुए नई वरिष्ठता सूची जारी करने का निर्देश दिया गया है।

उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हम उत्तरदाताओं की पदोन्नति के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति के गठन के प्रश्न पर जाने का प्रस्ताव नहीं करते हैं। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशल इंटेलिजेन्स टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रमेश कुमार कराडिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए , निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।